फा. सं. 16015/1/2019-पीएमआई
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 26th जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल के लिए माह जून, 2019 का मासिक सार-एतद्संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को माह जून, 2019 के संबंध में उर्वरक विभाग का मासिक सार एतदद्वारा सूचनार्थ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

जो० तोपनो

(जोहन तोपनो)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23388064

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
3. सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी को।

विषय: माह जून, 2019 के संबंध में उर्वरक विभाग का मासिक सार।

1. माह के दौरान समग्र उत्पादन निष्पादन:

(आंकड़े लाख मी.टन में)

उत्पाद का नाम	माह के दौरान उत्पादन	इस माह तक संचयी उत्पादन
यूरिया	19.70	55.70
डीएपी	3.45	11.67
अमोनियम सल्फेट (ए/एस)	0.53	1.20
मिश्रित उर्वरक	7.15	18.91
सिंगल सुपर फॉस्फेट	4.71	10.93

स्रोत : mfms.nic.in 8.7.2019 की स्थिति के अनुसार

2. माह के दौरान उर्वरकों की आकलित आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री:

(आंकड़े लाख मी.टन में)

उत्पाद का नाम	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता (अनुमानित)	बिक्री (अनुमानित)
यूरिया	27.98	36.78	27.5
डीएपी	9.99	26.17	9.69
एमओपी	3.92	6.64	2.60
मिश्रित	9.71	25.76	8.61

आंकड़ों का स्रोत iFMS है।

3. माह के दौरान आयातित तैयार उर्वरकों का ब्यौरा:

उत्पाद का नाम	मात्रा लाख मी.टन में
यूरिया	6.89
कृषि उपयोग हेतु एमओपी	4.33
डीएपी	6.26
एनपीके	0.77

4. एफसीआईएल/एचएफसीएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार की स्थिति:

(क) <u>रामागुण्डम इकाई का पुनरुद्धार:</u>

- एफसीआईएल की रामागुण्डम इकाई का पुनरुद्धार पीएसयूज नामत: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और एफसीआईएल के एक परिसंघ द्वारा 1.27 एमएमटीपीए क्षमता के गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करके नामांकन आधार पर किया जा रहा है। 30 जून, 2019 तक परियोजना की वास्तविक प्रगति 97.4% हुई है। परियोजना को वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू किए जाने की संभावना है।

- सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से उर्वरक विभाग द्वारा परियोजना गतिविधियों की गहन निगरानी की जा रही है। ऐसी विगत समीक्षा बैठक 02.07.2019 को हुई थी। पूर्ण की गई प्रमुख प्रगति यह रही कि गोदावरी नदी से आरसीएफएल की संयंत्र बैटरी सीमा तक जल पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है 15 जून, 2019 को सफलतापूर्वक आरंभ हो गया है। पुनर्चक्रित जल-शोधन संयंत्र (स्ट्रीम ए, बी और डी) शुरू हो गय हैं और अल्ट्रा-फिल्टरेशन स्किड्स को बहा देने का कार्य प्रगति पर है। डीएम जल संयंत्र के चरणबद्ध ढ़ंग से 15.07.2019 तक कार्य शुरू करने की संभावना है।

- जल ब्लॉक के संबंध में विप्रो एसटीपी को अगस्त, 2019 तक और सीपीयू एवं ईटीपी को क्रमशः जुलाई, 19 एवं अगस्त, 19 तक पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रिलिंग टावर का कार्य पूरा करने के लिए सिम्पलेक्स सितंबर, 2019 तक प्रतिबद्ध है। यूटिलिटी बॉयलर और उससे संबंधित कार्य को बीएचईएल 20.07.2019 तक पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- गैस कनेक्टिविटी के संबंध में, जीआईटीएल ने सूचित किया है कि 150 कि.मी. पाइपलाइन का जल-परीक्षण पूरा हो गया है और शेष खंड के लिए यह जुलाई 2019 के तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद, ड्राइंग और पिगिंग के कार्य में लगभग 10 दिन लगेंगे। आरएफसीएल संयंत्र में अगस्त, 2019 के प्रथम सप्ताह तक गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

- उर्वरक विभाग ने दिनांक 28.06.2019 के अ.शा. पत्रों के जरिये गैस पाइपलाइन को आरंभ करने के लक्ष्य को जुलाई, 2019 के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त करने के मामले को मुख्य सचिव, गुजरात के साथ उठाया है। साथ ही, 27.06.2019 और 02.07.2019 के अ.शा. पत्रों के माध्यम से क्रमशः सीएमडी, भेल और सचिव, भारी उद्योग विभाग से अनुरोध किया गया कि यूटिलिटी बॉयलर को पूरा करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। 29.5 कि.मी. की गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी (आईपीएस-3 से रामागुंडम तक) को डेडिकेटेड पाइपलाइन घोषित करने हेतु पीएनजीआरबी को उर्वरक विभाग के अनुरोध पर पीएनजीआरबी ने दिनांक 21.06.2019 के आ.शा. पत्र के जरिये यह कहा है कि 29 कि.मी. लंबी पाइपलाइन को सामान्य कॅरियर का एक हिस्सा माना जाएगा। 04.07.2019 के का.ज्ञा. के जरिये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि मैसर्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कंचनपल्ली पर ईडब्ल्यूपीएल के पिछले 6 माह के प्रचालन प्रेशर आंकड़े तथा भविष्य में संभावित प्रचालन प्रेशर के आंकड़े उपलब्ध करवाने का निदेश दिया जाए।

- तेलंगाना राज्य सरकार से संबंधित है:-

  i. **तूफान का पानी (स्ट्राम वाटर)** – तूफान के पानी के निपटान हेतु संचालित मार्ग सर्वेक्षण के आधार पर मार्ग बनाने के लिए यह देखा गया कि भूमि के लिए आरओयू सिंगारेनी कॉलियरीज (एससीसीएल) के पास है। तदनुसार मामले को एससीसीएल तथा तेलंगाना राज्य सरकार के साथ उठाया गया और यह आश्वासन दिया गया कि कार्य शुरू करने के लिए आरओयू आरसीएफएल को दिया जाएगा।

  ii. **आरसीएफएल कॉम्प्लेक्स के लिए अग्नि अनापत्ति प्रामाण-पत्र**- यह सूचित किया गया कि सभी दस्तावेजों और सांविधिक प्रभारों के साथ अग्नि एनओसी के लिए आवेदन

आरसीएफएल द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है और यह कार्यारंभ गतिविधियों को शुरू करने के लिए यह अपेक्षित है। यह सूचित किया गया था कि इसे समय पर जारी कर दिया जाएगा।

iii. **साम्या अंशदान-** तेलंगाना सरकार से 14.25 करोड़ रु. का अंशदान प्रतीक्षित है। पीएस (उद्योग), तेलंगाना सरकार के साथ हुई बैठक के दौरान यह सूचित किया गया कि साम्या को शीघ्रतिशीघ्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

iv. **आरसीएफएल संयंत्र के लिए सुरक्षा कार्मिक** – सीआईएसएफ संरक्षा कार्मिकों की अनुपलब्धता के मद्देनजर, आरसीएफएल ने संयंत्र के लिए संरक्षा प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार से संपर्क किया है। मामले पर 28.06.2019 को पीएस(उद्योग) तेलंगाना राज्य सरकार के साथ चर्चा की गई थी। यह सूचित किया गया था कि इस मामले में आगे कार्रवाई के लिए सुरक्षा नियुक्त करने के निबंधन एवं शर्तों को तेलंगाना राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा सकता है।

- बिजली, जल तथा गैस प्रमुख उपयोगी सेवाएं है जिसकी संयंत्र चालू होने से कम-से-कम 9, 8 तथा 6 महीनों पहले उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होती है। बिजली और जल पहले ही प्राप्त हो गए हैं। दिनांक 02.07.2019 को सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जीआईटीएल ने अगस्त, 2019 के प्रथम सप्ताह तक गैस आपूर्ति का वादा किया है। यह महत्वपूर्ण है कि जल उपचार इकाइयों (विप्रो), जीटीजी तथा एचआरएसजी (बीएचईएल द्वारा) का कार्य गैस की प्राप्ति के साथ-साथ पूरा हो जाए। स्पष्ट है कि गैस प्राप्ति के पश्चात संयंत्र को पूर्ण रूप से तैयार करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे तथा यूटिलिटी बॉयलर (यूबी) का गैस प्राप्ति के कम से कम दो सप्ताह पूर्व तैयार होना आवश्यक है।

(ख) <u>तलचर इकाई का पुनरुद्धार:</u>

- तलचर इकाई का पुनरुद्धार नामांकित पीएसयू के संयुक्त उद्यम का गठन करके 'नामांकन आधार' के द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त उद्यम कंपनी को तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) का नाम दिया गया है। टीएफएल में गेल, आरसीएफ और सीआईएल सहित प्रत्येक की साम्या 29.67% और एफसीआईएल की साम्या 10.99% है। कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित 1.27 एमएमटीपीए क्षमता वाला नया अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। टीएफएल कोयला गैसीकरण और अमोनिया यूरिया इकाई के लिए आद्योपांत संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया में है। कोयला गैसीकरण हेतु आद्योपांत (एलएसटीके) की बोलियों का मूल्यांकन 15 मई, 2019 को पूरा हो गया था। कोयला गैसीकरण हेतु एल1 का बोली मूल्य अनुमानित लागत से लगभग 38% अधिक है। लगाई गई बोली को कम करने के लिए बोलीदाता के साथ वार्ता के चार दौर पूरे हो चुके हैं। तथापि, बोलीदाता द्वारा कोई छूट नहीं दी गई है। अतः 21.05.2019 के नीति आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, एक वार्ता समिति द्वारा 20.06.2019 को नए सिरे से वार्ता की गई जिसमें घटक विशेष की लागत का ब्यौरा दिया गया, परंतु बोलीदाता बोली की कीमत को कम करने पर सहमत नहीं हुआ। अतः अवरोध की इस स्थिति में टीएफएल कोयला गैसीकरण निविदा पुनः जारी कर सकता है।

- सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से उर्वरक विभाग द्वारा परियोजना गतिविधियों की गहन निगरानी की जा रही है। विगत समीक्षा बैठक 02.07.2019 को हुई थी।

(ग) <u>गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों का पुनरुद्धार:</u>

- गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों का पुनरुद्धार प्रत्येक में 1.27 एमएमटीपीए क्षमता के गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यम कंपनी हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के माध्यम से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:
    - 25.06.2019 की स्थिति में एचयूआरएल की गोरखपुर, बरौनी तथा सिंदरी इकाई परियोजनाओं का समग्र आद्योपांत कार्य प्रगति क्रमश: 59.9%, 37.8% और 36.7% है जोकि अधिकतर समय-सीमा के अनुसार है।
    - सभी तीनों परियोजनाओं के लिए सभी प्रमुख दीर्घावधि वस्तुओं का आदेश दिया जा चुका है।
    - सभी तीन परियोजनाओं हेतु गैर-आद्योपांत पैकेज तथा ईपीसीएम गैर पैकेज की प्रगति रिपोर्ट पीडीआईएल-पीएमसी द्वारा तैयार की जा रही है। शेष गैर-आद्योपांत पैकेजों के दिए जाने के लिए तथा महत्वपूर्ण गैर-आद्योपांत पैकेजों को प्रदान किए जाने के बाद कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है।

- एचयूआरएल को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के सीसीईए के निर्णय के अनुसरण में उर्वरक विभाग ने जीएफआर, 2017 के नियम 253(2) (i) के अनुसार मसौदा ऋण करार तैयार किया है जिसका निष्पादन उर्वरक विभाग और एचयूआरएल के मध्य किया जाएगा। इस विषय पर आर्थिक कार्य विभाग की टिप्पणी प्रतीक्षित है। इस बीच एचयूआरएल से अनुरोध किया गया है कि एचयूआरएल को ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) के वितरण हेतु स्वतंत्र प्रतिभूति प्रस्तुत करें। एचयूआरएल ने सूचित किया है कि उनकी समग्र परिसम्पत्ति प्रतिभूति एचयूआरएल को ऋण के बदले बैंक के पास जमा है। तथापि, बैंक एचयूआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के बदले उर्वरक विभाग के पक्ष में समरूप प्रभार सौंप देने पर सहमत हो गए हैं। एचयूआरएल की इस स्थति की जानकारी आर्थिक कार्य विभाग को दी जा रही है।

- ये परियोजनाएं संभवत: वर्ष 2021 तक उत्पादन प्रारम्भ कर देंगी। सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से उर्वरक विभाग द्वारा इन परियोजनाओं की गतिविधियों की गहन निगरानी की जा रही है। विगत समीक्षा बैठक 02.07.2019 को हुई थी।

5. व्यय की स्थिति:

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध 78476.00 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में जून, 2019 के दौरान उर्वरक राजसहायता प्रशासन पर 5542.85 करोड़ रुपये (पीएण्डके : 1863.65 करोड़ रुपये, यूरिया: 3677.34 करोड़ रुपये, शहरी कम्पोस्ट: 1.37 करोड़ रुपये और डीबीटी व्यावसायिकों पर व्यय 0.49 करोड़ रुपये) व्यय हुए थे। 28 जून, 2019 तक प्रगामी व्यय 29200.57 करोड़ रुपये (पीएण्डके: 9598.18 करोड़ रुपये, यूरिया: 19593.34, शहरी कम्पोस्ट: 8.00 करोड़ रुपये तथा डीबीटी व्यवसायिकों पर व्यय 1.05 करोड़ रुपये) अर्थात कुल आवंटन का 37.21 % व्यय हुआ था।

6. मंत्रिमंडल नोट की प्रस्तुति:

(i) **केरल सरकार को फैक्ट की भूमि की बिक्री:** दिनांक 10.08.2018 को हुई बैठक में पीएमओ द्वारा दिए गए निर्देशानुसार केरल सरकार को फैक्ट की भूमि की बिक्री के प्रस्ताव को पुनर्संरचना के प्रस्ताव से अलग कर लिया गया है। मंत्रिमंडल नोट की अग्रिम प्रतियां मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को 07.01.2019 को अग्रेषित कर दी गई थीं। तथापि, नई सरकार के गठन के बाद, इसकी अग्रिम प्रतियां, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को, निदेशों/टिप्पणियों, यदि कोई हों, के लिए दिनांक 14.06.2019 को पुन: प्रस्तुत की गई हैं।

(ii) **हल्दिया इकाई का पुनरुद्धार न किया जाना:** अंतिम रूप से तैयार किए गए सीसीईए नोट की प्रतियां 26.07.2018 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई थी। हल्दिया में एचएफसीएल की भूमि को केओपीटी को सौंपे जाने का प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय के निदेशानुसार सीसीईए नोट से अलग कर लिया गया था और इस पर अलग से कार्रवाई की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 25.05.2019 तथा 04.06.2019 के दिशा-निर्देशों में यह उपबंध किया गया है कि उन सभी मामलों में अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है जिन पर नई सरकार के गठन के छह माह पहले परामर्श किया गया था। तदनुसार, नए सिरे से अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

******